उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपकम),
U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्याः 375–पारे0अनु0–04 / पाट्राकालि–2024–20 / 2009 टी0सी0 दिनांकः 12 जून, 2024

मुख्य अभियन्ता (पारे0 क्षेत्र दक्षिण–पूर्व) / (पारे0 क्षेत्र उत्तर–पूर्व) /
(पारे0 क्षेत्र दक्षिण–मध्य) / (पारे0 क्षेत्र दक्षिण–पश्चिम) /
(पारे0प0) / (पारे0म0) / (संचार एवं नियंत्रण) /
(ऊर्जा प्रणाली परिचालन) / (सी0एम0यू0टी0) /
(765 एवं 400 के0वी0 परिकल्पना इकाई) / (नियोजन) /
(जानपद पारेषण–प्रथम / द्वितीय) /
उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0,
प्रयागराज / गोरखपुर / झाँसी / आगरा / मेरठ / लखनऊ।

विषयः **उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता संघ के 39वें वार्षिक महाधिवेशन में सम्मिलित होने हेतु अभियन्ताओं को विशेष आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में महासचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता संघ, उ0प्र0 से पुनः प्राप्त आवेदन पत्र सं0–ए एस–संगठन / 2022–24 / 259, दिनांक 08.06.2024 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उनके संगठन का 39वॉ वार्षिक महाधिवेशन दिनांक 27 व 28 जून, 2024 के स्थान पर अब 26 एवं 27 जून, 2024 को लखनऊ में होना प्रस्तावित है। तदनुकम में उन्होंने अनुरोध किया है कि प्रस्तावित कार्यकम में भाग लेने वाले सभी अभियन्ताओं को उक्त तिथियों का "विशेष आकस्मिक अवकाश" प्रदान किया जाए।

अतः ट्रांसमिशन कार्पोरेशन के आदेश संख्या–332 / पारे004 / पाट्राकालि / 2024, दिनॉक 21 मई, 2024 को निरस्त करते हुए, संगठन के उपरोक्त आग्रह के संदर्भ में मुझे यह अवगत कराने का निदेश हुआ है कि पूर्ववर्ती परिषद् के आदेश संख्या–3488बी / एसईबी / एस–17(8एच) / 78 दिनॉक 05.12.1983 में निहित प्राविधानों के अनुसार संगठन के उन अभियन्ता सदस्यों को, जो महाधिवेशन में भाग लेने के इच्छुक हों, उन्हें 27 एवं 28 जून, 2024 के स्थान पर दिनांक 26 व 27 जून 2024 को "विशेष आकस्मिक अवकाश" विभागीय कार्यो की आवश्यकता एवं आकस्मिकता को दृष्टिगत रखते हुए, सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा (प्रारूप आवेदन–पत्र पर) स्वीकृत किया जायेगा।

अतः मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी, संगठन के उन सदस्यों को, जो उक्त अधिवेशन में सम्मिलित होना चाहें, को उनके व्यक्तिगत प्रार्थना पत्र पर "विशेष आकस्मिक अवकाश" कार्यालय ज्ञाप संख्या–5948(औ0सं0)–17 / पाकालि / 03–188ए0एस0 / 96 दिनॉक 31.12.2003, सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या–5820 (औ0सं0)–17 / पाकालि / 03–188ए0एस0 / 96 दिनॉक 04.12.2004 में निर्धारित प्रकिया के अनुसार कृपया स्वीकृत करने का कष्ट करें।
संलग्नक : **यथोपरि।**

भवदीय,

(सत्यार्थ गंगवार)
उप सचिव (पारेषण–।।।)

संख्याः 375(।)–पारे0अनु0–04 / पाट्राकालि / 2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन / शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
2. महाप्रबन्धक (औ0सं0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन / शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

4. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक / महाप्रबन्धक / उपमहाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन / शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. अपर सचिव (पारेषण), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. उप सचिव (पारेषण–प्रथम / द्वितीय), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अधिशासी अभियन्ता (सं0) निदेशक (आपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को ट्रान्समिशन की वेब–साइट www.upptcl.org पर अपलोड करने हेतु।
8. महासचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता संघ, उ0प्र0 को उनके पत्र सं0–ए एस–संगठन / 2022–24 / 254, दिनांकः 15.05.2024 के संदर्भ में।

Satyarth

(सत्यार्थ गंगवार)
उप सचिव (पारेषण–।।।)